

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक:- 09.01.2026

संख्या-1/पी०-1001/2026-सा०प्र०-599/श्री समीर सौरभ, भा.प्र.से. (2019), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, कम्पेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी०-1001/2026-सा०प्र०-600/श्री दीपक कुमार मिश्रा, भा.प्र.से. (2019), नगर आयुक्त, नालन्दा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री मिश्रा अगले आदेश तक अपर निदेशक, मिशन निदेशक का कार्यालय, बिहार विकास मिशन, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी०-1001/2026-सा०प्र०-601/श्री अभिषेक पलासिया, भा.प्र.से. (2020), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, खगड़िया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, गया नगर निगम, गयाजी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी०-1001/2026-सा०प्र०-602/श्री कुमार निशांत विवेक, भा.प्र.से. (2020), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, गोपालगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, बिहार शरीफ नगर निगम, नालन्दा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी०-1001/2026-सा०प्र०-603/श्री श्रीकान्त कुण्डलिक खाण्डेकर, भा.प्र.से. (2020), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, नालन्दा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी०-1001/2026-सा०प्र०-604/श्री शुभम कुमार, भा.प्र.से. (2021), नगर आयुक्त, भागलपुर नगर निगम, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, नालन्दा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1 / पी०-1001 / 2026-सा०प्र०-605 / सुश्री शिवाक्षी दीक्षित, भा.प्र.से. (2021), नगर आयुक्त, मुंगेर नगर निगम, मुंगेर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, बेतिया नगर निगम, बेतिया, पश्चिम चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1 / पी०-1001 / 2026-सा०प्र०-606 / श्री सूर्य प्रताप सिंह, भा.प्र.से. (2021), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, कैमूर, भभुआ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1 / पी०-1001 / 2026-सा०प्र०-607 / श्री लक्ष्मण तिवारी, भा.प्र.से. (2021), नगर आयुक्त, बेतिया नगर निगम, पश्चिम चम्पारण को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, सारण, छपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1 / पी०-1001 / 2026-सा०प्र०-608 / श्री पार्थ गुप्ता, भा.प्र.से. (2022), अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्णिया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, मुंगेर नगर निगम, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1 / पी०-1001 / 2026-सा०प्र०-609 / श्री आशीष कुमार भा.प्र.से. (2022), अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, मोतिहारी नगर निगम, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1 / पी०-1001 / 2026-सा०प्र०-610 / श्री किसलय कुशवाहा, भा.प्र.से. (2022), अनुमण्डल पदाधिकारी, महुआ, वैशाली को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, भागलपुर नगर निगम, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1 / पी०-1001 / 2026-सा०प्र०-611 / श्री गौरव कुमार, भा.प्र.से. (2022), अनुमण्डल पदाधिकारी, बगहा, पश्चिम चम्पारण को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी०-1001/2026-सा०प्र०-612/श्री काजले वैभव नितिन, भा.प्र.से. (2022), अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहार शरीफ, नालन्दा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी०-1001/2026-सा०प्र०-613/सुश्री दिव्या शक्ति, भा.प्र.से. (2022), अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, कैमूर, भभुआ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी०-1001/2026-सा०प्र०-614/सुश्री श्वेता भारती, भा.प्र.से. (2022) (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, खगड़िया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी०-1001/2026-सा०प्र०-615/श्री गौरव कुमार, भा.प्र.से. (2022), अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी०-1001/2026-सा०प्र०-616/श्री ऋतुराज प्रताप सिंह, भा.प्र.से. (2022), अनुमण्डल पदाधिकारी, नौगछिया, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी०-1001/2026-सा०प्र०-617/सुश्री गरिमा लोहिया, भा.प्र.से. (2023), अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़, पटना के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं धारा-163 में निहित शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

संख्या-1/पी०-1001/2026-सा०प्र०-618/श्री अनिरुद्ध पाण्डेय, भा.प्र.से. (2023), अनुमण्डल पदाधिकारी, मोहनिया, कैमूर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर, पटना के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं धारा-163 में निहित शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

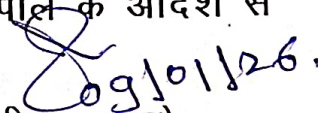
संख्या-1/पी०-1001/2026-सा०प्र०-619/सुश्री कृतिका मिश्रा, भा.प्र.से. (2023), अनुमण्डल पदाधिकारी, गोगरी, खगड़िया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं धारा-163 में निहित शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

संख्या-1/पी०-1001/2026-सा०प्र०-620/सुश्री आकांक्षा आनंद, भा.प्र.से. (2023), अनुमण्डल पदाधिकारी, बारसोई, कटिहार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (पश्चिम) के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं धारा-163 में निहित शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

संख्या-1/पी०-1001/2026-सा०प्र०-621/श्री रोहित कर्दम, भा.प्र.से. (2023), अनुमण्डल पदाधिकारी, शेखपुरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, नौगछिया, भागलपुर के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं धारा-163 में निहित शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

2. आलोच्य स्थानांतरण/पदस्थापन से संबंधित पद/पदों को अतिरिक्त प्रभार के रूप में धारण करने वाले पदाधिकारी तत्संबंधी अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(रजनीश कुमार)

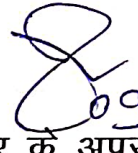
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 1/पी०-1001/2026-सा०प्र०-621/पटना-15, दिनांक:- 09.01.2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा-आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-03, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-03, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/संबंधित विभाग/संबंधित कार्यालय/संबंधित

पदाधिकारी/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/आई.टी. मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी.डी. के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 06, 12 एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. भा.प्र.से. (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12(1) के तहत श्री समीर सौरभ (2019) द्वारा धारित किए जाने वाले पद को उनके आलोच्य पदस्थापनकाल तक के लिए संयुक्त सचिव स्तर के समकक्ष घोषित किया जाता है।


09/01/26.
सरकार के अपर सचिव।